राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/35682 जयपुर,दिनांकः 2/11/17

परिपत्र

नगरीय निकाय क्षेत्रों में विज्ञापन होडिंग्स/बोर्ड के अव्यवस्थित एवं बिना अनुमति के लगाये जाने को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए पूर्व में विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किये गये है। परन्तु इस दिशा में निकायो द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि अनुमति विरूद्ध लगे हुए विज्ञापन होडिंग्स/बोर्ड के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। नगरीय निकायो की विज्ञापन उपविधियों के प्रावधानो के अनुसार विज्ञापन होडिंग्स/बोर्ड की अनुमति व्यक्तियों /संस्थाओं को दी जाकर निर्धारित राशि वसूल की जावे। विज्ञापन शुल्क नगर निकायो की नियमित आय का एक बडा स्त्रोत है।

इसके अतिरिक्त सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के प्रावधानो के अनुसार अनाधिकृत पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि चिपका कर एवं उक्त अधिनियम में वर्णित अन्य कृत्यो से सम्पत्ति विरूपण के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

शहर के सौन्दर्यकरण के लिए उपरोक्त निर्देशो की पालना गंम्भीरता से की जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/35683-35938 दिनांकः 2/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगरनिगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
05. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
06. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
07. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
08. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी